न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 315/2016/223 आर टी ए

शेरिया उर्फ शेराराम पुत्र माला उर्फ मालूराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

हरिराम उर्फ हरिया पुत्र हाकमराम उर्फ हांसलिया जाति सांसी निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.03.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं. 228/2013 अनवानी शेरिया बनाम हरिराम

उपस्थित :–

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता अपीलांट

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–06.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2003 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 11.03.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि हरीराम द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए अनुसार चक 4 पीबीएन के प.न. 56/292 मु.न. 13 कि.न. 5, 6 प.न. 57/291 कि.न. 21, 22 प.न. 57/292 कि.न.1, 9, 10 कुल 8 बीघा भूमि वादी हरिराम व प्रतिवादी शेरिया द्वारा दिनांक 08.12.1975 को जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के मृतक पति व पिता हरभजन से खरीद की गई थी जो हरभजन की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे विरासतन दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खरीदशुदा भूमि 1/2 हिस्सा अपंजीकृत बैयनामा दिनांक 08.12.1980 द्वारा बैय कर दी। दिनांक 16.10.2001 को

तामील हेतु सम्मन जारी किया गया जो सही पते के अभाव मे अदम तामील वापिस लौटे और दिनांक 05.11.2001 को अदालत सही पता पेश करने हेतु आदेश दिया गया जो वादी हरिराम द्वारा पेश नही किया गया। दिनांक 10.01.2002 तक समस्त फर्दअहकाम वर्तमान पता पेश कर तलबी हेतु चल रही थी। दिनांक 10.01.2002 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन के आदेश वादी के प्रार्थना पत्र पर अदालत द्वारा जारी किये गये। दिनांक 06.08.2002 को समाचार पत्र दैनिक तेज मे प्रकाशन के आधार पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई और दिनांक 09.06.2003 को विधि विरूद्ध रूप से अपंजीकृत दस्तावेज को आधार मानकर प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्सा की चार बीघा भूमि का खातेदार वादी को घोषित कर दिया। इस कारण अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु एवं अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नही किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे दस्तावेज बैयनामा दिनांक 08.12.1975 हरभजन बहक हरिराम व शेरिया के आधार पर दर्ज ही नही हुई थी बल्कि हरभजन की मृत्यु के बाद उसके द्वारा बैय 8 बीघा भूमि का विरासतन नामान्तरण निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2003 मे दर्ज प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुका था। अपीलांट के नाम से भूमि कभी भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हुई थी इसलिए रेस्पो0 द्वारा जरिये डिक्री 09.06.2003 अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का ज्ञान किसी भी प्रकार से अपीलांट को नही हो सकता था।अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.10.01 को अपीलांट की तलबी हेतु जारी सम्मन बिना तामील के ही वापिस लौटा है और रजिस्टर्ड सम्मन पर स्पष्ट अंकित है कि यह पता गलत है, इसके बावजूद तामील की विधिक प्रक्रिया को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2016 पारित किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का उल्लघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट के सम्मन सही पते पर भिजवाये गये थे। तत्पश्चात रेस्पो0 के आवेदन पर राजस्व वाद के सम्मन को समाचार पत्र मे

प्रकाशित करवाए जाने का आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.02 को स्थानीय तेज केसरी समाचार पत्र मे सम्मन का प्रकाशन करवाने के आदेश दिये। जिसकी पालना मे उक्त समाचार पत्र मे सम्मन प्रकाशित करवाया गया व तारीख पेशी दिनांक 06.08.2002 के दिवस अपीलांट उपस्थित न होने की अवस्था मे उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई थी। न्यायालय द्वारा वाद सं. 106/01 का निर्णय गुणावगुणों के आधार पर दिनांक 09.06.03 को किया गया। जिसके अनुसरण मे रेस्पो0 के पक्ष मे डिक्री शुदा कृषि भूमि का इंतकाल तत्समय स्वीकृत हुआ। अपीलांट को उसके विरूद्ध प्रस्तुत किये गये वाद के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा दिनांक 09.06.2003 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दिनांक 04.07.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो लगभग 10 वर्ष की अवधि के बाद लम्बी अवधि होने के कारण मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका औचित्य पूर्ण कारण अपीलांट द्वारा नही बतलाया गया। प्रश्नगत समस्त 8 बीघा भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध मे स्वयं अपीलांट के द्वारा लिखित निष्पादित की हुई है जिसके आधार पर ही न्यायालय द्वारा पूर्व मे निर्णय दिनांक 09.06.2003 पारित किया गया था। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट के कथनानुसार प्रकरण सं. 106/2001 की पत्रावली मे फर्दअहकाम दिनांक 16.10.2001 को तामील हेतु सम्मन जारी किया गया जो सही पते के अभाव मे अदम तामील वापिस लौटे और दिनांक 05.11.2001 को अदालत सही पता पेश करने हेतु आदेश दिया गया जो वादी हरिराम द्वारा पेश नही किया गया। दिनांक 10.01.2002 तक समस्त फर्दअहकाम वर्तमान पता पेश कर तलबी हेतु चल रही थी। दिनांक 10.01.2002 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन के आदेश वादी के प्रार्थना पत्र पर अदालत द्वारा जारी किये गये। दिनांक 06.08.2002 को समाचार पत्र दैनिक तेज मे प्रकाशन के आधार पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई और दिनांक 09.06.2003 को विधि विरूद्ध रूप से अपंजीकृत दस्तावेज को आधार मानकर प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्सा की चार बीघा भूमि का खातेदार वादी को घोषित कर दिया। जो प्रकरण संख्या 106/2001 अनवानी हरीराम बनाम शेरीया की फर्दअहकाम से साबित होते है तथा उक्त तथ्य साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ